

भारत सरकार Government of India
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
कार्मिक प्रभाग Personnel Division

विज्ञापन संख्या ADVERTISEMENT NO. RE (Drivers)-01/2024-25 दिनांक dated 30.04.2024
(अपेक्षित पदों की कुल संख्या Total No. of requirements- 50)

भापअ केंद्र, मुंबई में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए पऊवि/इसकी संघटक इकाइयों से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों का पुनः नियोजन
Re-engagement of Driver Cadre Personnel Retired on Superannuation from DAE/ its Constituent Units for performing Driving duties in BARC, Mumbai.

(केवल परमाणु ऊर्जा विभाग/इसकी संघटक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं)
(Only employees retired on superannuation from Driver Cadre of Department of Atomic Energy/ its Constituent Units are eligible to apply)

1. कार्य-क्षेत्र (अनुलग्नक-I) में यथादर्शा अनुसार भापअ केंद्र, मुंबई में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए पऊवि/उसकी संघटक इकाइयों से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications are invited from Driver Cadre Personnel retired on superannuation from DAE/ its Constituent Units for performing Driving duties in BARC, Mumbai as indicated in Scope of Work (Annexure-I).

2. संलग्न 'कार्य-क्षेत्र' में दर्शाए गए कार्य को करने के इच्छुक, ड्राइवर संवर्ग के सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन विनिर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- II) में अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

Retired personnel of Driver Cadre who are willing to perform the work indicated in the enclosed 'Scope of Work' can submit their applications in the prescribed format (Annexure-II) along with their recent passport sized photograph duly affixed and a copy of the Pension Payment Order.

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके नियोजन के संबंध में सूचना दी जाएगी।

The applications received will be scrutinized by the Competent Authority and the selected candidates will be communicated regarding their appointment.

4. पात्रता Eligibility:

4.1 आवेदक पऊवि/उसकी संघटक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए और आयु 65 (पैंसठ) वर्ष से कम होनी चाहिए। जो कर्मचारी 30.06.2024 तक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। Applicant should have retired on superannuation from Driver Cadre of DAE/ its Constituent Units and should be below the age of 65 (Sixty Five) years. Those who are retiring on superannuation w.e.f. 30.06.2024 are also eligible to apply.

जारी contd.....

4.2 आवेदक जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले विचाराधीन/लंबित हैं या जिन्हें पिछले 10 (दस) वर्षों की अवधि के दौरान कदाचार के लिए दंडित किया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicant against whom departmental proceedings or criminal cases are contemplated/ pending or who have been penalized for misconduct during the period of preceding 10 (Ten) years will not be eligible for consideration.

4.3 आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और भारी मोटर वाहन (एचएमवी) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस पुनः नियोजन की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए।

Applicant should possess a valid driving licence for Light Motor Vehicle (LMV) and Heavy Motor Vehicle (HMV) issued by the Competent Authority. Licence should be valid throughout the currency of re-engagement.

4.4 आवेदक ड्राइवर के कार्यों का निष्पादन करने के लिए स्वस्थ होना चाहिए और उसे पुनः नियोजन के समय इस आशय का शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा, कार्यकाल के दौरान विभाग के विवेक पर आवधिक चिकित्सा जांच करवाई जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि पुनः नियोजित ड्राइवर, ड्राइवर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अयोग्य है, तो उसका पुनः नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

Applicant should be medically fit to perform the duties of the Driver and is required to submit Medical Fitness Certificate to this effect, at the time of re-engagement. Further, Periodic medical check-ups during the tenure will be carried out at the discretion of the Department and in case, it is found that the re-engaged driver is unfit to perform the duties of the Driver, his re-engagement shall be terminated with immediate effect.

4.5 पुनः नियोजन की अवधि शुरुआत में, सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे विभाग के विवेक पर और संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकती है। पर्याप्त औचित्य होने पर, अधिवर्षिता की आयु के दो साल बाद, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, यह समय विस्तार कार्यों की समीक्षा और पुनः नियोजित व्यक्ति के कार्य निष्पादन के आधार पर किया जा सकता है बशर्ते कि इसे अधिवर्षिता के बाद 05 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

The term of re-engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year at the discretion of the department and subject to satisfactory performance. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the tasks and the performance of the re-engaged appointee, provided it shall not be extended beyond 05 years after superannuation.

4.6 पुनः नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा। पुनः नियोजन को भापअ केंद्र द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

The re-engagement shall be purely on contract basis. Re-engagement can be terminated at any time by BARC without assigning any reasons thereof.

5. हकदारी Entitlement:

5.1 पुनः नियोजित कार्मिक को उसके अंतिम वेतन के @50% की दर से एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक ग्राह्य होगा।

A fixed monthly remuneration @ 50% of the Last Pay drawn shall be admissible to the re-engaged personnel.

5.2 सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन के हिसाब से सवेतन छुट्टी अनुपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से आगे छुट्टी संचय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Paid leave absence @ 1.5 days for each completed month of service will be allowed. Accumulation of leave beyond the calendar year will not be allowed.

5.3 सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त परिवहन भत्ते के 50% की दर से परिवहन भत्ता की एक निश्चित राशि ग्राह्य होगी।

A fixed amount towards Transport Allowance @ 50% of the Transport Allowance drawn at the time of retirement shall be admissible.

5.4 पुनः नियोजन की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

No Increment, Dearness Allowance and HRA shall be admissible during the term of re-engagement.

5.5 ड्राइवर के रूप में पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार, आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए, यदि कोई हो, की अनुमति दी जा सकती है।

Retired personnel re-engaged as Drivers may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

5.6 पुनः नियोजित व्यक्ति, पुनः नियोजन की अवधि के लिए जीपीएफ, उपदान आदि के लिए अंशदान करने का हकदार नहीं होगा।

Re-engaged person will not be entitled to contribute to GPF, gratuity etc. for the period of re-engagement.

6. कार्यस्थल, कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे गये अनुसार भापअ केंद्र, मुंबई/नवी मुंबई/कल्याण स्थित ईएचपीपीएल परियोजना होगी।

The place of work will be BARC, Mumbai/ Navi Mumbai/ EHPPL project at Kalyan as considered necessary to meet functional needs.

7. पुनः नियोजित कार्मिकों को समय-समय पर उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित होगा।

The re-engaged personnel will be required to perform the duties assigned to them, from time to time.

जारी contd.....

8. भाषण केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
BARC reserves the right to reject any application without assigning any reasons thereof.
9. आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 24.05.2024 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Last date for receipt of applications is 24.05.2024. The applications received after the last date will not be entertained.
10. आवेदन पत्र सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से निम्नवत को अग्रेषित किए जाएंगे:
The applications shall be forwarded by post/ by hand in sealed cover to:

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) Chief Administrative Officer (Personnel)
सेंट्रल कॉम्प्लेक्स Central Complex,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085 Trombay, Mumbai-400 085.



(श्रीराम एस. Sriram S.)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पी) Chief Administrative Officer (P)
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre

अनुलग्नक- I: कार्य-क्षेत्र Annexure-I : Scope of Work

अनुलग्नक-II: आवेदन का प्रारूप Annexure-II : Format of Application